न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 54 / 2017 / TI

1. बनवारी लाल
2. रणजीत सिंह } पुत्रगण भगवानाराम
3. चुन्नीलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण तिपन्यां की ढाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सवाई सिंह पुत्र सुरजाराम
2. गजानन्द पुत्र भोलूराम
3. बजरंगलाल पुत्र भोलूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण तिपन्यां की ढाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री सोहनलाल वकील अप्रार्थीगण की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 29.08.2019

1. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का सार व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कथन यह है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 226 / 2132 रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नम्बर 2262 / 2132 रकबा 2.00 हैक्टर वाके ग्राम तिपन्यां की ढाणी पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि सें अनावेदकगण अथवा अन्य किसी का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि के चारों तरफ सींव नींव वर्षो सें कायम कर रखी है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीगण का कथन व काउण्टर आवेदन का सार है कि प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

के नाम गलत रूप सें अंकित खातेदारी अंकित है जबकि नियमानुसार विवादित भूमियों के खाते 1/3 हिस्सा हेमा के वारिसों 1/3 हिस्सा सुरजा के वारिसों तथा 1/3 हिस्सा भोलू के वारिसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होनी चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा गलत खातेदारी की आड़ में प्रस्तुत झूंठा दावा प्रस्तुत किया है अतः काउण्टर आवेदन प्रस्तुत कर अंत में य ह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे तथा काउण्टर आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पर बहस बकुलाय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व जवाब आवेदन तथा जवाब विशेष कथन मय काउण्टर आवेदन को पढा जाकर अवलोकन किया गया। बाद बहस बकुलाय पर मनन किया गया। आवेदन मय काउण्टर आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 226/2132 रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नम्बर 2262/2132 रकबा 2.00 हैक्टर वाके ग्राम तिपन्यां की ढाणी पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की उभयपक्ष तादौराने वाद मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner